



उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक-टीएस-सीसीटीएनएस-06/2010-12
सेवा में,

दिनांक: नवम्बर 17, 2018

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) उत्तर प्रदेश।

विषय:-सीसीटीएनएस पोर्टल पर "लूट के मामलों के पंजीकरण में नये जोड़े गये मेजर हेड/माइनर हेड पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती में दर्ज किये जाने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज किये जाने विषयक।

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर "मेजर हेड लूटपाट के अन्तर्गत तीन नये माइनर हेड पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं अतः लूट के मामलों का पंजीकरण आवश्यकतानुसार नये जोड़े गये मेजर हेड/माइनर हेड में अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रक्रियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज करने की व्यवस्था है।

2. उपरोक्त के अनुक्रम में लूट के सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज करते समय, धारा में बदलाव करते समय व IIF-2 भरते समय पर्स छिनैती, चैन छिनैती एवं मोबाइल छिनैती से सम्बन्धित प्रकरण में उक्त माइनर हेड ही चयनित किया जाय। उपरोक्त निर्देश के अनुसार सूचना दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भ में इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष तथा जनपद के थाना में नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) की सूचना अंकित किये जाने की जिम्मेदारी होगी।

3. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा काइम मीटिंग में अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/परिक्षेत्र/जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी/जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) इस कार्यवाही व प्रक्रिया में सूचना अंकित कराये जाने व का नियमित पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी।

4. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा काइम मीटिंग में अधिकारियों को जागरूक करें इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें।

समन्वयक अधिकारी- श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड-2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ से सीयूजीन0-7839858257 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नक-यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

(आशुतोष पाण्डेय)

अपर पुलिस महानिदेशक,

उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड-2, प्रभारी नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर (छब्ब) उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
2. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

IIF-1 एवं IIF-2 में मेजर हेड लूटपाट में पर्स, मोबाइल एवं बैग छिनैती का माइनर हेड चुनने सम्बन्धी

1. “लूटपाट” के मामले में पूर्व में मेजर हेड में “लूटपाट” चुनने पर माइनर हेड में चेन, पर्स एवं मोबाइल छिनैती का विकल्प उपलब्ध नहीं था परन्तु अब यह विकल्प जोड़ दिया गया है | अतः अब IIF-1 भरते समय, धारा में बदलाव करते समय अथवा IIF-2 में चेन, पर्स एवं मोबाइल छिनैती से जुड़े मामलों में माइनर हेड में चेन, पर्स एवं मोबाइल छिनैती का विकल्प ही चुना जाय |
2. सर्वप्रथम CAS में LOGIN कर “पंजीकरण” → “प्राथमिकी (IIF-1)” → “प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण” पर क्लिक करें |



आपका स्वागत है
दिनांक
लॉगिन समय

SURYA PRASAD GAUTAM
24/10/2018
14:44

राज्य
जिला
पुलिस स्टेशन

उत्तर प्रदेश
संत कबीर नगर
महुती



अलर्ट्स और स्मरण दिखाएँ

● हाँ ● नहीं



जनरल डायरी



शिकायत



नागरिक सेवाएँ



पंजीकरण

प्राथमिकी (IIF-1)

गर सन्नय रिपोर्ट (एनसीआर)

मेडिको लीगल केस (प्राथमिकी (IIF-1))

गुमशुदा व्यक्ति

खोयी हुई संपत्ति

लापता मवेशी

अज्ञात मृत शरीर/अस्वाभाविक मृत्यु

लावारिस / परित्यक्त संपत्ति

अज्ञात / पाया व्यक्ति

अजनबी के रोल

आग हादसा

निवारक कार्रवाई

पुलिस नियंत्रण कक्ष

Badar Jila

मरे हुए जानवर / लोथ पंजीकरण

प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण

प्राथमिकी विवरण खोजें और देखें

प्राथमिकी का स्थानांतरण

स्थानांतरित प्राथमिकी का पुनः पंजीकरण

प्राथमिकी लिंक/प्रतिलिपि करें

एक प्राथमिकी जोड़ने के लिए अनुमोदन

प्राथमिकी भूमिका बदलना

निदेशक आईडी संख्या/कंपनी आईडी संख्या के लिए एफआईआर खोज

Search FIRDINCIN

नागरिक को प्राथमिकी प्रकाशित करें

एसोसिएट आईओ को नियत करें

तबादला केस विवरण देखें

भूमिका थानाध्यक्ष / थानेदार / थाना प्रभारी

कार्य जोड़े
गतिविधि कैलेंडर
कार्य सूची
स्थिति
डैशबोर्ड
मेरे संदेश
नागरिक सेवाओं की कार्य सूची

दिनांक *	24/10/2018	घटना प्रकार *	चुनें
घटना विवरण	घटना कार्यक्रम		

अस्वीकरण: अगर उपयोगकर्ता कोई दुर्भावनापूर्ण शिकायत या सूचना दर्ज करता है तो कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। यह वेबसाइट राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, सर्वश्रेष्ठ में देखें: 1024x768, IE 7, Firefox 3.6.3। हमसे संपर्क करें 1800119001 (टोल फ्री) / cashelpdesk@ncrb.nic.in

3. “प्राथमिकी का पंजीकरण” → “अधिनियम और धारा” टैब में “अधिनियम और धारा जोड़ें” बटन पर क्लिक करें और धारा जोड़ें |



सा सा टा एन एस
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टमस

दिनांक 16/11/2018
लॉगिन समय 16:26

जिला संत कबीर नगर
पुलिस स्टेशन महुली



जनरल डायरी
शिकायत
नागरिक सेवाएँ
पंजीकरण
अनुसंधान
अभियोजन
डेटाबैंक सेवाएँ
रिपोर्ट
व्यवस्थापक
रजिस्टर
खोज और प्रश्न

मुख्य पृष्ठ » पंजीकरण » प्राथमिकी » प्राथमिकी का पंजीकरण * अनिवार्य फ़ील्ड

प्राथमिकी का पंजीकरण

अधिनियम और धारा
घटना
शिकायतकर्ता
प्रथम सूचना विवरण
कार्रवाई की गई
पीडित सूचना
अभियुक्त
संपत्ति रुचि
कष्ट मामला विवरण
हस्ताक्षर

जी.डी. / एसडी / डीडी संख्या / दिनांक / समय * (24 hrs)

शिकायत के स्रोत * चयन करें

शिकायत सं.

प्राथमिकी श्रेणी जघन्य संवेदनशील

अधिनियम और धारा *

अधिनियम और धारा जोड़ें

क्र.सं.	अधिनियमों	धारायें	मिटाना
1	भा दं सं 1860	392	✖

वास्तविक दिनांक और समय

टिप्पणियाँ

सूचना का प्रकार लिखित मौखिक

मेजर और माइनर हेड

मेजर हेड

माइनर हेड चयन करें जोड़ें

क्र.सं.	मेजर हेड्स	माइनर हेड
कोई अभिलेख नहीं मिला		

सुरक्षित करें
जमा करें
पूर्वावलोकन
बंद करें
पूरा रिक्त करे

यह वेबसाइट राष्ट्रीय अपराध अभिलेख शाखा , गृह मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है

- मेजर हेड में “लूटपाट” चुनने पर, नीचे बने माइनर हेड में लूटपाट की मंशा से जुड़े विकल्प प्रदर्शित होंगे ।
- “लूटपाट” के मामले में पूर्व में मेजर हेड में “लूटपाट” चुनने पर माइनर हेड में चेन, पर्स एवं मोबाइल छिनैती का विकल्प उपलब्ध नहीं था परन्तु अब यह विकल्प जोड़ दिया गया है । अतः अब IIF-1 भरते समय, धारा में बदलाव करते समय अथवा IIF-2 में चेन, पर्स एवं मोबाइल छिनैती से जुड़े मामलों में माइनर हेड में चेन, पर्स एवं मोबाइल छिनैती का विकल्प ही चुना जाय ।

लागन समय 16:26 गुलस स्टेशन महुला

जनरल डायरी | शिकायत | नागरिक सेवाएँ | पंजीकरण | अनुसंधान | अभियोजन | डेटाबैंक सेवाएँ | रिपोर्ट | व्यवस्थापक | रजिस्टर | खोज और प्रश्न

मुख्य पृष्ठ » पंजीकरण » प्राथमिकी » प्राथमिकी का पंजीकरण

प्राथमिकी का पंजीकरण * अनिवार्य फ़ील्ड

अधिनियम और धारा घटना शिकायतकर्ता प्रथम सूचना विवरण कार्रवाई की गई पीडित सूचना अभियुक्त संपत्ति रुचि कष्ट मामला विवरण हस्ताक्षर

शिकायत के स्रोत * चयन करें टिप्पणियाँ

शिकायत सं. सूचना का प्रकार लिखित मौखिक

प्राथमिकी श्रेणी जघन्य संवेदनशील

अधिनियम और धारा *

क्र.सं.	अधिनियमों	धारायें	मिटाना
1	भा दं सं 1860	392	<input checked="" type="checkbox"/>

मेजर और माइनर हेड

मेजर हेड लूटपाट

माइनर हेड

क्र.सं.	मेजर हेड्स
	<ul style="list-style-type: none"> चयन करें अज्ञात अर्ध नगरीय ग्रामीण चेन छिनैती चलता टन डकेती डालने का प्रयास करना नगरीय पर्स छिनैती फायरआमस एवं विस्फोटक पदार्थ के साथ लूटपाट बैंक मोबाइल छिनैती हाईव पर

यह वेबसाइट राष्ट्रीय अपराध अभिलेख शाखा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है

-- धन्यवाद --